अध्यक्ष, एईआरबी का गणतंत्र दिवस-2025 पर संबोधन
Chairman, AERB Republic Day Address-2025

मेरे प्यारे साथियों My dear colleagues,

76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं मुख्यालय, संरक्षा अनुसंधान संस्थान, कल्पाक्कम, क्षेत्रीय नियामक केंद्रों, विभिन्न स्थानों पर तैनात एसओटी और ऑन जॉब ट्रेनी, सहायक और सपोर्ट स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों, कैंटीन कर्मचारियों और एईआरबी के कामकाज से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

On the occasion of 76th Republic Day, I extend my wishes to all my colleagues of AERB located at Headquarters, Safety Research Institute, Kalpakkam, Regional Regulatory Centres, SOTs and On Job Trainees posted at various, auxiliary and support staff, security personnel, canteen staff and one and all who are directly or indirectly connected with functioning of AERB.

एक देश के रूप में हम 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक आधिपत्य से मुक्त हो गए। हालाँकि, 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने के बाद ही हम 'भारतीय गणराज्य' के रूप में काम करना शुरू कर पाए।

As a country, we became free of the colonial domination on 15th August 1947. However, we could only start functioning as a 'Republic of India' only after the adoption of the Constitution of India on 26th January 1950.

इससे पहले, हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों द्वारा शासित थे। हालाँकि, अधिनियम में परमाणु ऊर्जा का कोई विशेष उल्लेख नहीं था। वास्तव में, 1948 में तैयार किया गया पहला परमाणु ऊर्जा अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रदान की गई संघीय सूची की प्रविष्टि 34 और 36 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता था, जिसने संघीय सरकार को खदान विकसित करने और उद्योग स्थापित करने का अधिकार दिया, जहाँ संघीय नियंत्रण के तहत विकास को संघीय कानून द्वारा सार्वजनिक हित

में समीचीन घोषित किया जाता है। इस प्रकार, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1948 ने घोषित किया कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित का विकास अपने नियंत्रण में लेना चाहिए (क) परमाणु ऊर्जा के उत्पादन या उपयोग से जुड़ा कोई भी उद्योग, और (ख) कोई भी खनिज जो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन या उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है या किया जा सकता है-

Prior to that, we were governed by the provisions of the Government of India Act 1935. However, the Act did not have any specific mention of atomic energy. In fact the first Atomic Energy Act which was framed in 1948 drew its powers from Entry 34 and 36 of the Federal List provided in the Government of India Act 1935, which empowered Federal Government to develop mine and set up industries, where development under Federal control is declared by Federal law to be expedient in the public interest. Thus, Atomic Energy Act, 1948 declared that it is necessary in the public interest that the Central Government should take under its control the development of –(a) any industry connected with the production or use of atomic energy, and (b) any mineral which is or may be used for the production or use of atomic energy.

1950 में जब भारत का संविधान अपनाया गया था, तब संघ सूची की प्रविष्टि 6 ने संसद को परमाणु ऊर्जा और इसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संसाधनों से संबंधित मामलों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार दिया था। हालांकि, संविधान को अपनाने के बाद भी, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 लागू रहा, क्योंकि संविधान में प्रावधान था कि केवल वे पूर्व-संविधान कानून ही अमान्य होंगे जो संविधान के प्रावधानों के साथ असंगत हैं।

In 1950, when Constitution of India was adopted, Entry 6 of Union List specifically empowered Parliament to legislate on matters related to atomic energy and mineral resources necessary for its production. However, even subsequent to the adoption of Constitution, the Atomic Energy Act 1948 remained in force, as the Constitution provided that only those pre-constitutional laws will turn void which are inconsistent with the provisions of the Constitution.

पचास के दशक में कई गतिविधियाँ एक के बाद एक हुईं। सरकार तारापुर में देश का पहला एनपीपी स्थापित करने के लिए तैयार थी और आरएपीएस 1 और 2 पर भी चर्चा हुई। यह माना गया कि मौजूदा 1948 अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान नहीं थे। पंडित नेहरू ने नया परमाणु ऊर्जा विधेयक पेश करते हुए कहा

Several activities took place in quick succession in the fifties. Government was ready to set up the first NPP in the country at Tarapur and RAPS 1&2 was also on the discussion table. It was recognised that the prevailing 1948 Act was not having adequate provisions. Pandit Nehru while introducing the new Atomic Energy Bill stated

> "...वह अधिनियम कुछ हद तक पुराना हो चुका है। इसमें संशोधन करना संभव हो सकता था, लेकिन यह कई छोटे-मोटे संशोधनों के साथ एक बोझिल प्रक्रिया थी। इसलिए, सदन से अनुरोध है कि हमें पुराने अधिनियम को समाप्त कर देना चाहिए और एक नया विधेयक पेश करना चाहिए, जिसे मैं अब करने का साहस कर रहा हूँ।'
>
> ...that Act is somewhat out of date. It might have been possible to make amendments to it, but that was a cumbersome procedure with numerous petty amendments. It is, therefore, submitted to the House that we should put an end to the old Act and introduce a new Bill, which I am venturing to do now.'

1962 के अधिनियम ने पहली बार परमाणु ऊर्जा के उत्पादन से निपटने में प्रभावी संरक्षा उपायों की आवश्यकता को मान्यता दी। इस प्रकार, पिछले कुछ वर्षों में संरक्षा के लिए विनियामक ढांचा विकसित हुआ। प्रारंभ में पऊवि-एसआरसी और डीआरपी द्वारा स्व-नियमन किया गया, जो अंततः एईआरबी के गठन के बाद ये एईआरबी में शामिल हो गए। नियामक ढांचे में एईआरबी द्वारा विकसित नियामक दस्तावेज और संरक्षा समीक्षा और लाइसेंसिंग, निरीक्षण और अनुपालन की निगरानी के लिए एईआरबी द्वारा विकसित और अनुकूलित विनियामक तंत्र शामिल हैं। यह ढांचा समृद्ध परिचालन और विनियामक अनुभव फीडबैक को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी कारक के साथ-साथ विकसित हुआ।

The 1962 Act for the first time recognised the need for effective safety measures in dealing with the production of atomic energy. Thus, over the years the regulatory

framework for safety got evolved- initially with self regulation by DAE-SRC and DRP, which eventually got subsumed in AERB on its formation. The regulatory framework includes the regulatory documents developed by AERB and the regulatory mechanism developed and customised by AERB for conduct of safety review and licensing, inspection and monitoring of compliance. This framework developed concurrently with the technology factoring in the rich operational and regulatory experience feedback.

जिस मूल आधार पर नियमन और नियामक प्रथाओं की स्थापना की गई थी, वह इस अंतर्निहित विचार के साथ था कि सरकार के पास परमाणु ऊर्जा के उत्पादन पर एकाधिकार नियंत्रण था। यह अधिनियम के 1987 के संशोधन के बाद काफी हद तक अपरिवर्तित रहा, जिसने परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लक्ष्य के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से एनपीसीआईएल को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में बनाने की सुविधा प्रदान की। 2015 के संशोधन ने भी, सरकारी कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यमों की अनुमति देते हुए, बिजली उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण बरकरार रखा।

The basic premise on which the regulations and regulatory practices were founded was with the underlying consideration that Government had exclusive control over production of nuclear energy. This by large remained unchanged following the 1987 amendment of the Act which Facilitated creation of NPCIL as a wholly owned Government company for the purposes of speedy execution of the goal of electricity generation from atomic power. The 2015 amendment also, while allowing for joint ventures between two Government companies, retained the control by Government on power production.

लेकिन सरकार के 2047 तक 'विकसित भारत' और 2070 तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के दृष्टिकोण के साथ, देश के कुल ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा के योगदान में उल्लेखनीय वृद्धि अपरिहार्य है। नए प्रवेशकों के जल्द ही परमाणु व्यवसाय में प्रवेश करने की संभावना है। माननीय वित्त मंत्री ने पिछले साल के अपने बजट भाषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश के साथ देश में परमाणु विकास को गति देने के लिए भारत लघु रिएक्टर और भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है।

But with Government's vision of 'VIKSIT BHARAT' by 2047 and net zero emission goals by 2070, significant rise in contribution of Nuclear Power in the total energy mix of the

country is inevitable. New entrants are likely to foray in the nuclear business sooner than later. Already Hon'ble Finance Minister in her last year's budget speech has announced setting of Bharat Small Reactors and Bharat Small Modular Reactors for accelerating nuclear growth in the country with private sector participation and investments.

इन विकासों के साथ, एईआरबी ने पिछले दो वर्षों में व्यापक 'मंथन सत्र' आयोजित किए थे, ताकि नियमों के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जा सके, जिन्हें भविष्य के लिए तैयार होने के लिए मजबूत बनाने की आवश्यकता है। समय की मांग है कि समयबद्ध तरीके से मंथन के परिणामों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रित रणनीति विकसित की जाए।

With these development knocking on the door, AERB had indulged in extensive 'MANTHAN sessions' in the past two years to deliberate various facets of regulations which need to be strengthened to make ourselves future ready. The need of the hour is to develop focused strategies for implementation of the outcome of the Manthan in a time-bound manner.

इस साल अपने नए साल के संदेश में, मैंने पहले ही संकेत दिया था कि यह साल 'कार्रवाई' का साल होना चाहिए। आइए हम सभी कड़ी मेहनत करने का संकल्प लें और पूर्व-निर्धारित धारणाओं की बेड़ियों से बाहर निकलें जो हमें यथास्थिति के पक्ष में विभिन्न जालों का शिकार बनाती हैं। मेरा मानना है कि हममें से हर एक में इस अवसर पर आगे बढ़ने की क्षमता है। आइए हम सभी अपने भीतर की क्षमता को उजागर करें और एईआरबी के महान नेतृत्वकर्ताओं और दूरदर्शी लोगों की विरासत को जीने के लिए कड़ी मेहनत करें।

In my New Year Message this year, I had already indicated that this year should be the year of 'Action'. Let us all resolve to work hard, and come out of the shackles of pre-conceived notions that make us fall prey to various traps favouring status quo. I believe each one of us has potential to rise to the occasion. Let us all unleash the potential within us and strive hard to live up to the legacy of the great leaders and visionaries AERB had.

एईआरबी को रोल मॉडल बनना चाहिए और व्यावसायिकता, विश्वसनीयता और लचीलेपन के मामले में मानक तय करने चाहिए। मुझे इस बिंदु पर स्वीकार करना चाहिए कि मैं पहले से ही आईएमएस संशोधन

अभ्यास में सभी की उत्साहजनक भागीदारी के माध्यम से इस संबद्धता के सकारात्मक संकेत देख पा रहा हूं। प्राप्त टिप्पणियां मूल्यवान हैं और यह देखकर मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है कि हम सामूहिक रूप से यह तय कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में एईआरबी कैसे काम करेगा। वास्तव में, हमारे संविधान की तरह, संशोधित आईएमएस में एक प्रस्तावना होना उचित है जो कहे कि 'हम एईआरबी के स्टॉफ और कर्मचारी, आईएमएस के प्रावधानों का पालन करने का दृढ़ संकल्प करते हुए, इस आईएमएस को अपनाते हैं और खुद को प्रदान करते हैं।'

Let AERB be the role model and set standards in terms of professionalism, credibility and resilience. I must admit at this point that already I am able to see the positive signs of this belongingness through the encouraging participation of all in IMS revision exercise. The comments received are valuable and it gives me great satisfaction to see that collectively we are deciding on how AERB will function in the coming days. In fact, just like our constitution, it is befitting to have a preamble in the revised IMS stating 'we the staff and employees of AERB, having solemnly resolved to abide by the provisions of the IMS, hereby adopt and give to ourselves this IMS'

योग्यता एईआरबी के नियमन की पहचान है और एईआरबी अब अपने एईआरबी समीक्षा समूहों के माध्यम से इस आंतरिक योग्यता पर बड़े पैमाने पर निर्भर रहेगा। केवल बहुत ही चुनिंदा विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों को ही विशेषज्ञ समूहों को भेजा जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि समय के साथ विशेषज्ञ समूहों पर निर्भरता भी काफी हद तक कम हो जाएगी। मुझे यह भी उम्मीद है कि नियामक समितियों (टियर-I और टियर-II) द्वारा व्यापक समीक्षा में भी कम समय लगेगा, जिसमें संरक्षा मुद्दों/मामलों पर केंद्रित चर्चा होगी। हम सभी को संरक्षा से समझौता किए बिना नियामक समीक्षा समय की अवधि को कम करने की दिशा में काम करना चाहिए। मुझे इस बात की भी खुशी है कि एसआरआई ने अपनी शोध क्षमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ पहचाने गए क्षेत्रों में संरक्षा अनुसंधान के संचालन के लिए उपलब्ध राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए एक व्यवस्थित कार्यनीति बनाई है।

Competency is the hallmark of AERB's regulation and AERB will now be extensively relying on this in house competence through its AERB review groups. Only very selected specialized areas of expertise items should be referred to Expert groups. I am sure that, with time even dependency on Expert groups can be reduced to a great

extent. I am also hopeful that comprehensive reviews by regulatory committees (Tier-I& Tier-II) will also take less time, with focused discussion on safety issues/cases. We all must work towards optimizing of regulatory review time span without compromising on the safety. I am also happy that SRI had put in place a systematic strategy to enhance its research capabilities as well as to leverage the available national infrastructure for conduct of safety research in identified areas.

एक मजबूत रिकॉर्ड और सूचना प्रबंधन प्रणाली आवश्यक है और इसकी तत्काल आवश्यकता है। इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग नियामक गतिविधियों में बहुत मददगार होगा। इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए और तभी हम अपने आरआरसी के कामकाज के दायरे को और बढ़ा सकते हैं।

A robust Record and Information Management System is essential and needed urgently. Use of Artificial Intelligence in this area will be of great help in regulatory activities. This should be taken up on priority and then only we can further expand the scope of functioning of our RRCs.

पारदर्शी कामकाज भी एक ऐसा क्षेत्र है जो एईआरबी को अपनी विश्वसनीयता अर्जित करने में मदद करेगा। ईकाइयों को शुरू से ही पूरी तस्वीर से अवगत कराया जाना चाहिए और जहाँ तक संभव हो, अप्रत्याशित स्थितियों से बचा जाना चाहिए। एईआरबी को मीडिया दृश्यता के लिए अपने प्रयासों को भी बढ़ाना चाहिए। आज की दुनिया में, हम मीडिया प्रबंधन में लापरवाही नहीं बरत सकते। एईआरबी को सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से सूचनाओं के त्वरित प्रकटीकरण की दिशा में काम करना चाहिए।

Transparent functioning is also another area which will help AERB in earning its trustworthiness. Utility should be made aware of the complete picture from the start itself and surprises, to the extent practicable, should be avoided. AERB should also enhance its efforts towards media visibility. In today's world, we cannot afford to be complacent in dealing with media. AERB must work towards prompt disclosure of information through social media handles.

मैं अपने कर्मचारियों से यह आग्रह भी करता हूँ कि वे मूल मूल्यों को पोषित करते रहें। एईआरबी ने ईमानदार, ज्ञान आधारित नियामक के रूप में ख्याति अर्जित की है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम हर समय संगठन की अखंडता और सद्भावना को बनाए रखें।

I also urge my staff to be keep nourishing the core values. AERB has earned a repute of honest, knowledge based regulator. We should see that we uphold the integrity and goodwill of the organization at all times.

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और भारत गणराज्य की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर, मैं राष्ट्र के पूज्य संस्थापक नेताओं को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ और एक बार फिर अपने सभी कर्मचारियों और स्टॉफ को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ।

With these words, I conclude and on the occasion of seventy fifth anniversary of Republic of India, I pay my respects to the revered founder leaders of the nation and once again congratulate and wish all my staff and employees a very happy Republic Day.

जय हिंद Jai Hind.